

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9849 / 5977

दिनांक :- 27-8-2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री पूनम कुमारी [लिंक न. 9849] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर - [1808] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 23/04/2018 से 18/05/2018 तक 26 दिवस

दिनांक 11/06/2018 से 29/06/2018 तक 19 दिवस

कुल 45 दिवस

उक्त कुल 45 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री पूनम कुमारी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 21/04/2018, 22/04/2018, 19/05/2018, 20/05/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9849 / 5977

दिनांक :- 27-8-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री पूनम कुमारी [9849] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)